

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/पूजास्थ के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की दिवसी से निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकतम खंडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ  
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 66 दिनांक 06/05/2019

प्राचीन राजेश पुरोहित 3/0 श्री मंगल पुरोहित

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

का 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु पानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 1585/1585

जरिये रसीद संख्या 1005/1585/1585

दिनांक 06/05/19 को जमा करा दी है।

*(Signature)*

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

P.No: 64 सेक्टर की  
सरकारी नगर

पृष्ठ + 1  
आवासीय

Pen by

No. No. 9001615611